प्रशासनिक अनुभाग जजशिप, सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रशा० आदेश सं०- 128 /2021 दिनांक-22.07.2021

आदेश

कोविड-19 के मामलों को दृष्टिगत रखते हुये, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक- 1983/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 20.07.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों के द्वारा अग्रिम आदेश तक जनपद न्यायालय के कार्य हेतु निर्देश जारी किये हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी परिसर में कार्यरत न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय सम्भल तथा बाह्य न्यायालय गुन्नौर दिनांकः 22.07.2021 से अग्रिम आदेश तक निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करेंगे:-

1. समस्त न्यायालय सभी प्रकार के न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य वर्तमान में निर्गत प्रावधान, नियम, दिशा-निर्देश तथा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार करेंगे।

2. समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी सम्भव प्रयास करेंगे कि न्यायालय कक्ष में न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान एक समय पर कम से कम संख्या में पक्षकार/विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहें जिससे भौतिक दूरी के दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी किसी भी पक्षकार को उपस्थित होने से नहीं रोकेंगे जब तक कि वह पक्षकार किसी बीमारी से ग्रस्त न हो, किन्तु पीठासीन अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह न्यायालय में पक्षकार के प्रवेश को प्रतिबन्धित कर सकते हैं अथवा उस स्थान से जहां से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस सुनाई जानी है उस स्थान को भी प्रतिबन्धित कर सकते हैं।

3. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिन शनिवार व रविवार को लॉकडाउन रहने संबंधी निर्गत दिशा-निर्देश दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त पत्रांक दिनांकित 20.07.2021 के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय (अधिकरण सहित) बन्द रखने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसके क्रम में जजशिप सम्भल स्थित चन्दौसी के मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय सम्भल व गुन्नौर के समस्त न्यायालय दिन शनिवार व रविवार को बन्द रहेंगे।

प्रभारी अधिकारी, नजारत को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों दिवसों शनिवार व रविवार को न्यायालय परिसर पूर्णतः सैनेटाईज करायेंगे।

4. सभी न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि जैसे ही कार्य पूर्ण कर लिया जाये, न्यायालय परिसर को छोड़ दें तथा अपने न्यायालय/ कार्यालय में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को भी न्यायालय /कार्यालय परिसर छोड़ने हेतु निर्देशित करें।

5. न्यायालय परिसर में तथा न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मॉस्क का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।मॉस्क के बिना किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। न्यायालय कक्ष के प्रवेश द्वार पर सैनेटाईजर की व्यवस्था केन्द्रीय नाजिर द्वारा की जायेगी। सभी तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण मॉस्क का प्रयोग करेंगे तथा सभी संबंधित सोशल डिस्टैंसिंग का सख्ती से पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. यदि सम्बन्धित जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी इस मत के हों कि जनपद/बाह्य न्यायालय कोविड-19 महामारी के कारण नियत अवधि के लिए बन्द करना है तब जनपद/बाह्य न्यायालय उक्त अवधि के लिए बन्द किये जा सकते हैं तथा विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जायेगी।

7. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिला अधिकारी एवं सी०एम०ओ०/सी०एम०एस० के द्वारा की जायेगी।

8. जजशिप सम्भल स्थित चन्दौसी को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय/ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा न्यायिक क्षेत्र (Judicial Side) में केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा Covid-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

9. प्रभारी अधिकारी विवरण-पत्र / अपर जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी को निर्देशित किया जाता है कि वे निस्तारित होने वाले वादों और प्रार्थना-पत्रों के संबंध में सूचना प्रति दिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को e-Services module पर नियमित रूप से प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें

10. उपरोक्त व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्रांक - 1983/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated: 20.07.2021 के माध्यम से न्यायिक कार्य निष्पादन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति प्रशासनिक अनुभाग, जजशिप सम्भल स्थित चन्दौसी द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारीगण को प्राप्त करायी जाये है।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि जनपद न्यायालय की Official website पर अपलोड की जाये तथा एक प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि समस्त समाचार-पत्रों में इस आदेश का प्रकाशन करायें।

नोटः- उपरोक्त समस्त व्यवस्था बाह्य न्यायालय सम्भल व गुन्नौर में भी पीठासीन अधिकारी / उपनाजिर द्वारा करायी जानी सुनिश्चित की जायें।

सतीश कुमार-III,
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल,
5. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद,
6. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
7. जनपद सम्भल की सभी बार एसोसिएशन के अध्यक्षगण को,
8. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल।

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।